

121

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक-
अपील बड़वानी/आब अ/2018/0959

2018 जिला बड़वानी

मैसर्स- एसोसिएटेड अल्कोहल्स एण्ड ब्रेवरीज
लिमिटेड, खोड़ी ग्राम, बड़वाह, जिला खरगौन
(म.प्र.)

श्री. कालक राणा
द्वारा आज दि. 06-2-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 15-2-18 दिनांक।

.....अपीलार्थी

बनाम

- 1- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
- 2- उपायुक्त आबकारी, सम्भागीय
उड़नदस्ता, जिला- इन्दौर
- 3- जिला आबकारी अधिकारी, जिला
बड़वानी

.....प्रतिअपीलार्थीगण

न्यायालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा आदेश
पृष्ठांकन क्रमांक/5(1)2017-18/3920 दिनांक 29.07.2017 के
विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के
अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी
के अन्तर्गत अपील।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्र.क्र.पीबीआर/अपील/बडवानी/आ0अ0/18/959

जिला-बडवानी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2018	<p>अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अवधि विधान की धारा 5 व ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रत्यर्थी शासन के अधिवक्ता को भी सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह अपील आबकारी आयुक्त ग्वालियर के आदेश दिनांक 29-7-2017 के विरुद्ध दिनांक 6-2-2018 को प्रस्तुत हुई है, जो प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य है। विलम्ब के संबंध में उनके द्वारा यह कहा गया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 29-7-2017 की प्रति रिकार्ड में रखकर भूल जाने का कारण बताया गया, परन्तु अपने तर्क के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा बताया गया कारण उनको समय सीमा में छूट देने के लिये पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अपील समयावधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है।</p>	




अध्यक्ष